दीपक कुमार, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Deepak Kumar, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक – प्र010 र0वि0अधि0 –01/2019 1748 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/04/19

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य–योजना एंव मार्ग–निदेश के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1209 दिनांक 08.03.2019

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 में राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 1209 दिनांक 08.03.2019 द्वारा विस्तृत कार्य–योजना एवं मार्ग–निदेश जिलों को प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 में राज्य अंतर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के पंजीकृत किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूँ की अधिप्राप्ति किये जाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही यह सुनिश्चित हो कि गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो एवं व्यापारियों या बिचौलियों की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो।

विदित हो, कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्यक्रम सरकार की महत्वकांक्षी योजना है एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को पूरे राज्य में सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत कार्य–योजना एंव मार्गनिदेश में संबंधित विभागों, नोडल अभिकरण, सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी समितियाँ, प्रभारी सचिवों तथा इस कार्यक्रम में संचालित सभी पदाधिकारियों के संबंध में विस्तृत दायित्वों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह बाध्यकारी है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं जिला अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आपात बिक्री (Distress Sale) की स्थिति का सामना नही करना पड़े।

अतः निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक 1209 दिनांक 08.03.2019 द्वारा रब्बी विपणन मौसम, 2019–20 हेतु निर्गत विस्तृत कार्य–योजना एवं मार्गनिदेश में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक प्र010 र0वि0अधि0 –01/2019 1748 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/04/19
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक प्र010 र0वि0अधि0 –01/2019 1748 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/04/19
प्रतिलिपि – सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापाक प्र010 र0वि0अधि0 –01/2019 1748 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/04/19
प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक प्र010 र0वि0अधि0 –01/2019 1748 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/04/19
प्रतिलिपि – सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

C:\Users\Dell\Desktop\cs letter.docx